न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 118/2019 **दायरा दिनांक : 28.08.2019**

उनवान

पुरूषोत्तम पुत्र श्री जगन्नाथ, आयु 65 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– सुल्तान पुत्र श्री फूंदे खां, आयु 55 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

2– शफी मोहम्मद पुत्र श्री अल्लानूर, आयु 52 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

3– अब्दुल पुत्र श्री सरदार, आयु 49 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री असलम भारती अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 10/2019 निर्णय दिनांक 24.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों से असंगत एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है । अपीलांट/प्रार्थी विवादित आराजी ग्राम मण्डोला का खातेदार कृषक है । विवादित आराजी खसरा नम्बर 2373 रकबा 0.35 हेक्टर अपीलांट प्रार्थी की खातेदारी की थी । आराजी खाता संख्या 286 कुल किता 12 रकबा 10.03 हेक्टर आराजी का भाग है । खसरा नम्बर 2373 के दक्षिणी हिस्से के पूर्वी ओर अपीलांट के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2371 रकबा 0.16 हेक्टर स्थित है । अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की अपूर्ण एवं मनमानी मौका रिपोर्ट को अपने निर्णय का आधार बनाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार कर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । हल्का पटवार मण्डल मण्डोला की पैमाइश रिपोर्ट मौके पर सीमाज्ञान किये बिना ही अधूरी रिपोर्ट पेश की है । उत्तरी पूर्वी कोने पर अपीलांट का घर एवं बगीचा व ट्यूबवैल है । विवादित आराजी पर आवागमन का फाटक लगा हुआ है, जो अपीलांट के कब्जे को सिद्ध करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलांट के खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ अस्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेंट से पाबन्द न कर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी की किस्म सैटलमेंट सम्वत 2038 से 2057 के पूर्व भी अपीलांट एवं उससे पूर्व वादग्रस्त आराजी उनके पूर्वजों की खातेदारी में चली आ रही है । उक्त वादग्रस्त आराजी कभी भी कब्रिस्तान के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है । अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि को कृषि से अन्यथा उपयोग करने का किसी दीगर व्यक्ति को कानूनन कोई अधिकार न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार न कर निर्णय पारित किया है, जो काश्तकारी कानून के प्रावधानों से असंगत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है । हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है । रेस्पोडेंट वादग्रस्त

(महेन्द्र कोटा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं । ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया है जो वास्ते कब्रिस्तान खसरा नम्बर 1652 रकबा 1.36 हेक्टर में से 0.40 हेक्टर कब्रिस्तान उपयोग हेतु है । हमें स्थगन आदेश प्रदान करें कि वादग्रस्त आराजी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि यद्यपि वादग्रस्त आराजी इनके खाते की है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी खसरा नम्बर 2373 का खातेदार माना है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थी अपीलांट को खसरा नम्बर 2373 रकबा 0.35 हेक्टर का रिकार्डेड खातेदार माना है तथा मौके पर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 2373 के कुछ हिस्से पर कब्रिस्तान के रूप में उपयोग होने के मध्यनजर प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं माना है और प्रकरण खारिज कर दिया है तथा तहसीलदार बारां को आदेशित किया है कि खसरा नम्बर 2373 किस उपयोग में लाया जा रहा है । कब्रिस्तान के सम्बन्ध में स्पष्ट मौका व रेकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि दावे का निस्तारण मेरिट पर किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त आदेश उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा